



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2024 / 06 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 5th April, 2024

No. HHC/GAZ/14-402/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 58 days earned leave *w.e.f.* 11-04-2024 to 07-06-2024 with permission to suffix 2nd Saturday and

19—राजपत्र / 2024-26-04-2024

(839)

Sunday falling on 08-06-2024 and 09-06-2024 in favour of Smt. Parveen Khadwal, Civil Judge-cum-JMFC, Court No. III, Ghumarwin.

Certified that Smt. Parveen Khadwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Khadwal would have continued to hold the post of Judge-cum-JMFC, Court No. III, Ghumarwin, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 5th April, 2024

No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge-cum-JMFC, Court No. II, Ghumarwin as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Court No. III, Ghumarwin and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of class-II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head “2014 Administration of Justice” during the earned leave period of Smt. Parveen Khadwal, Civil Judge-cum-JMFC, Court No. III, Ghumarwin during her earned leave period *w.e.f.* 11-04-2024 to 07-06-2024 with permission to suffix 2nd Saturday and Sunday falling on 08-06-2024 and 09-06-2024 or till she returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 4th April, 2024

No. HHC/GAZ/1-15/73-V.—The High Court of Himachal Pradesh has been pleased to grant Selection Grade of Rs. 163030—219090 to Smt. Jyotsna S. Dadhwal, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala and Sh. Madan Kumar, Registrar (GAD), High Court of H.P., Shimla, members of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, H.P. with effect from 01-08-2023 and 01-11-2023, respectively and shall be called as “Selection Grade District Judges.”

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 4th April, 2024

No. HHC/Rules (Uniform)-1/94.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Rules known as **“High Court of Himachal Pradesh (Supply of Uniforms to Gazetted Officers, Superintendents Gr.-II, Judgment Writers, Senior Scale Stenographers and Class-III Court Servants) Rules, 1994”**:—

Brief Description	Sl. No.	Particulars
Short Title	1.	These Rules shall be called “High Court of Himachal Pradesh (Supply of Uniforms to Gazetted Officers, Superintendents Gr.-II, Judgment Writers, Senior Scale Stenographers and Class-III Court Servants) 6th Amendment Rules 2024”.
Commencement	2.	These Rules shall come into force with immediate effect
Amendment	3.	<p>i. In first paragraph of Clause (a) of Rule-4 after words “grey trouser” words “or steel grey trouser ” shall be inserted.</p> <p>ii. The second paragraph of Clause (a) of Rule-4 shall be substituted as under:—</p> <p>“Uniform for Lady Officers:</p> <p>(a) Full sleeved black coat (one Woolen and one Terrywool):</p> <p>(b) Saree, petticoat and full/half sleeved high neck blouse/shirt with collar, white/black/grey or combination thereof;</p> <p>(c) Salwar/churidar, kameej and dupatta, white/black/grey or combination thereof.</p> <p>or</p> <p>Trouser, shirt with collar/long shirt/kurta, white/black/grey or combination thereof.</p> <p>The uniform shall be admissible after every three years”.</p> <p>iii. In Schedule-I under head ‘Rates of Fabric’ after words ‘Grey Trouser’ and before words (Woolen)’ words “ or Steel Grey Trouser” shall be inserted.</p> <p>iv. In Schedule-I under head ‘Rates of Fabric’ after words ‘Grey Trouser’ and before words (Terrywool)’ words “ or Steel Grey Trouser” shall be inserted.</p> <p>v. In Schedule-I under head ‘Rates of ‘Fabric’ the words ‘White Terrykot Ladies suit (salwar, kameez and dupatta)’ shall be substituted with following:—</p>

		Salwar/churidar, kameej and dupatta, white/black/grey or combination thereof. or Trouser, shirt with collar/long shirt/kurta, white/black/grey or combination thereof.
	vi.	In Schedule-I under head 'Rates of Fabric' the words 'White Saree with blouse & Petticoat' shall be substituted with the following:— "Saree, petticoat and Blouse/Shirt with Collar, white/black/grey or Combination thereof".
	vii.	In Schedule-I under head 'Stiching charges' the words 'Ladies Suit' shall be substituted with the following :— Salwar/churidar, kameej and dupatta, or Trouser, shirt with collar/long shirt/kurta,
	viii.	In Schedule-I under head 'Stiching charges' after word blouse and before words 'and Petticoat' words "/Shirt with Collar" shall be inserted.

BY ORDER,

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 8th April, 2024

No. HHC/ Estt.3(700)/2009.—10 days leave *i.e.* 04 days commuted leave *w.e.f.* 14-02-2024 to 17-02-2024 and 06 days earned leave 18-02-2024 to 23-02-2024 with permission to suffix Gazetted holiday and Sunday on 24th & 25th February, 2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Yugal Kishore, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Yugal Kishore has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Yugal Kishore would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 8th April, 2024*

No. HHC/Estt.3(615)/2008.—03 days commuted leave *w.e.f.* 19-03-2024 to 21-03-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Rajni, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Rajni has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Rajni would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 6th April, 2024*

No. HHC/ Estt.3(517)/2001-I.—05 days commuted leave *w.e.f.* 18-03-2024 to 22-03-2024 with permission to prefix Sunday on 17-03-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated, the 10th April, 2024*

No. HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In continuation to this Registry Notifications No. HHC/GAZ/14-52/74-VII-26-48 and No. HHC/GAZ/14-52/74-VII-49-71, dated 1st and 3rd

April, 2024, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges and Civil Judges are hereby ordered with immediate effect:—

1. Ms. Kanika Chawla, Senior Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur at Nahan under transfer as Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, is transferred and posted as Deputy Director, Himachal Pradesh Judicial Academy, Shimla.
2. Sh. Amardeep Singh, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Paonta Sahib, on his placement, is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo.
3. Ms. Monika Sombal, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Sarkaghat under transfer as Deputy Director, Himachal Pradesh Judicial Academy, is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM, Ghumarwin.
4. Sh. Vikas Gupta, Secretary, District Legal Services Authority, Shimla under transfer as Senior Civil Judge-cum-ACJM, Ghumarwin, is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM, Paonta Sahib.
5. Ms. Isha Agarwal, Civil Judge-cum-JMFC-IV, Una under transfer as Civil Judge-cum-JMFC-III, Una, is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC, Nalagarh.
6. Ms. Geetika Yadav, Civil Judge-cum-JMFC-II, Una under transfer as Civil Judge-cum-JMFC-IV, Una shall remain posted as such in Court No. II, Una.
7. Sh. Varun, Civil Judge-cum-JMFC, Nalagarh is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC-III, Una.

Note.—1. The Judicial Officers at Serial Nos. 1, 3 & 5 are not entitled for TA/DA

2. All the Judicial Officers under transfer by orders dated 01-04-2024, 03-04-2024 and of even date, are directed to join their respective places of postings on or before 20-04-2024.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH,
COURT OF HIMACHAL PRADESH.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated the 10th April, 2024

No. HHC/GAZ/14-52/74-VII.— Pursuant to repatriation from the National Legal Services Authority, the services of Sh. Yajuvender Singh, Additional District and Sessions Judge, on joining, are placed at the disposal of Hon'ble the Chief Justice for being posted as Officer on Special Duty (OSD) in the Registry of High Court of Himachal Pradesh till further orders.

BY ORDER OF HON'BLE HIGH COURT
OF HIMACHAL PRADESH.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 19th April, 2024*

No. HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In pursuance of posting of Sh. Yajuvender Singh, Additional District and Sessions Judge as Officer on Special Duty (OSD) in the Registry of High Court of H.P. *vide* Notification No. HHC/GAZ/14-2/74-VII-98-119, dated 10-04-2024, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order to draw his salary against the vacant court of Additional District and Sessions Judge-II, Solan, till further orders.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated, the 19th April, 2024*

No. HHC/ GAZ/14-216/95-I.—Shri R.K. Chaudhary, a member of H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as Registrar (Vigilance), High Court of H.P. Shimla shall stand retired from service on attaining the age of superannuation on and *w.e.f.* 30-04-2024 (afternoon).

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 19th April, 2024*

No. HHC/ GAZ/14-244/99-I.—Shri J. L. Azad, a member of H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as Principal Judge, Family Court, Mandi shall stand retired from service on attaining the age of superannuation on and *w.e.f.* 30-04-2024 (afternoon).

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 19th April, 2024*

No. HHC/GAZ/14-414/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 31 days earned leave *w.e.f.* 18-04-2024 to 18-05-2024 with permission to prefix gazette holiday falling on 17-04-2024 and to suffix Sunday falling on 19-05-2024 in favour of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra.

Certified that Ms. Shubhangi Joshi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shubhangi Joshi would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 19th April, 2024*

No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of class-II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head “2014 Administration of Justice” during the earned leave period of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra during her earned leave period *w.e.f.* 18-04-2024 to 18-05-2024 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 17-04-2024 and to Suffix Sunday falling on 19-05-2024 or till she returns from leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated the 22nd April, 2024*

No. HHC/Admn.16(13)74-XI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal

Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Ripna Kumari (HIM/561/2022), Ms. Radha Devi (HIM/45/2022), Sh. Sahil Chauhan (HIM/521/2021), Sh. Munish Mahendroo (HIM/49/2022), Ms. Mamta (HIM/212/2022), Ms. Neena Gaitri (HIM/202/2021), Sh. Akhilesh Chandel (HIM/99/2023), Sh. Alkesh (HIM/535/2018), Ms. Mahima Sharma (HIM/175/2022) and Ms. Divya Bharti (HIM/307/2021) Advocates, as Oath Commissioners at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Registrar (Admn.).

**GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH,
RAJ BHAVAN, SHIMLA-171 002**

NOTIFICATION

Dated, the 25th April, 2024

No.3-129/87-GS.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Des Raj, Comptroller, Governor's Household, Himachal Pradesh shall retire from Government service on the afternoon of 31-07-2024.

Sd/-
*Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Shamaun s/o Sh. Gulab Deen, aged 34 years, resident of Village Ugrasan, P.O. Sarahan, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Jareena d/o Mohd. Shareef, aged 32 years, resident of Village Sangera, P.O. Sahoo, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.

Whereas, the abovenamed applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 10-04-2015 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 26-04-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 27th March, 2024.

Seal.

(ARUN KUMAR SHARMA, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0

श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार पुत्र चूहडा, निवासी भगुडी, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा ईश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम स्वर्णा देवी है। उनका नाम ग्राम पंचायत पधरोटू, आधार कार्ड में मेरा नाम स्वर्णा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार दर्ज है जोकि सही है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल द्रबड, पटवार वृत्त भटोली में उनका नाम सुवणी देवी पत्नी रमेश कुमार पुत्र चूहडा दर्ज है जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30-04-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हि0प्र0।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.)

Saber Ali Shah s/o Sh. Mohd. Saleem, near Nar Singh Mandir, Mohalla Sapri, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Rajina Begum d/o Sh. Hanif Mohd., resident of Village Thakoli, , Tehsil Sihunta, District Chamba (H. P.) .

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the abovenamed applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 19-04-2019 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 30-04-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 30th day of March, 2024.

Seal.

ARUN KUMAR SHARMA, HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

ईशा छेत्री पुत्री मोहिन्द्र सिंह छेत्री, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थीगण ।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ईशा छेत्री पुत्री मोहिन्द्र सिंह छेत्री, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम ईशा छेत्री है तथा उसके पिता का सही नाम श्री मोहिन्द्र सिंह छेत्री है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा कस्बा व ककीरा जरेई, पटवार वृत्त ककीरा में गलती से क्रमशः ईशा व महिंद्र सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया व उसके पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-04-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 09/एन0टी0/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-04-2024

सीता देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1966.

प्रार्थिया श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह, निवासी गांव व डाकघर दियोग्रां, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 25-12-1956 को गांव व डा0 दियोग्रां में घर पर हुआ था परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत दियोग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न करवाई गई। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया सीता देवी के जन्म तिथि पंजीकरण दिनांक 25-12-1956 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत साजन बग्गा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 28-04-2024

रजनी बाला

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम.—रजनी बाला पत्नी राजीव राणा, निवासी सिद्धपुर सरकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाररधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने अपने व अपने पति के नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि उसका व उसके पति का सही नाम रजनी वाला व राजीव राणा है जबकि प्रार्थिया के बच्चे कनिका के स्कूल रिकार्ड में रजनी और राजीव है। अतः ई-राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उसके पति का सही नाम रजनी वाला व राजीव राणा है। अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(साजन बग्गा),
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01/एन0टी0/2024

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 29-04-2024

बीरवाला

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया बीरवाला पत्नी स्व० श्री रवि कुमार, निवासी गांव व डा० भरवाला, उप-तहसील पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया श्रीमती बीरवाला पत्नी स्व० श्री रवि कुमार का नाम महाल भरवाना पटवार वृत्त सल्याड़ा, उप-तहसील पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) के राजस्व रिकार्ड में मीरा देवी पत्नी रवि कुमार दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है जबकि असल में उसका नाम बीरवाला पत्नी स्व० श्री रवि कुमार है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया के सही नाम बीरवाला उर्फ मीरा देवी पत्नी स्व० श्री रवि कुमार की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरुखी, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 46/NT/2024

तारीख पेशी : 30-04-2024

रीना देवी पुत्री साली राम पुत्र गोरखू राम हाल पत्नी लेख राज पुत्र गरीबू राम, निवासी गांव व डाकघर भरमात, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रीना देवी पुत्री साली राम पुत्र गोरखू राम हाल पत्नी लेख राज पुत्र गरीबू राम, निवासी गांव व डाकघर भरमात, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म महाल भरमात, ग्राम पंचायत भरमात, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० में दिनांक 01-07-1978 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत भरमात के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 30-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भरमात को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 42 / NT / 2024

तारीख पेशी : 30-04-2024

अजय कुमार पुत्र पाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अजय कुमार पुत्र पाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का जन्म महाल गोपालपुर, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में दिनांक 14-05-1965 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत गोपालपुर के
अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को
कोई भी एतराज हो तो दिनांक 30-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर
अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा
तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत गोपालपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Sub-Divisional Magistrate -cum-
Special Marriage Officer Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Vinod Kumar aged 34 years s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Udgoose, P.O. Karpat, Tehsil
Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District
Kullu (H.P.).

and

Poonam aged 34 years d/o Sh. Lal Chand, r/o Shilihar Parla Bhunter, P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Udgose, P.O. Karpal, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Vinod Kumar aged 34 years s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Udgose, P.O. Karpal, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Poonam aged 34 years d/o Sh. Lal Chand, r/o Shilihar Parla Bhunter, P.O. & Tehsil, Bhunter, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Udgose, P.O. Karpal, Tehsil Udaipur, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present Doctor of C.H. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have presented an application on dated 27-03-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 28-04-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 30th day of March, 2024.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum-
Special Marriage Officer,
Manali, District Kullu (H.P.).

**In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HPAS), Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Abhay Sood aged 41 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.).

and

Yogeshwari Kashta w/o Sh. Abhay Sood, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.) (DOB 19-08-1991) Adhaar No. 8250 2362 3797.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act.

Abhay Sood aged 41 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.) and Yogeshwari Kashta w/o Sh. Abhay Sood, r/o Village Mandli, P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) at present, r/o 12A Chandigarh, Shoe Place, Ward No. 4 Manali, District Kullu (H.P.) (DOB 19-08-1991) Adhar No. 8250 2362 3797 have presented an application on dated 04-04-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 05-05-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 10th day of April, 2024.

Seal.

Sd/-
*Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sonam Angroop aged 49 years s/o Sh. Phunchog Tashi, r/o Village Yoche, P.O. Darcha Sumdo, Tehsil Keylong, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present residing at, V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Mrs. Dolma Devi aged 51 years d/o Sh. Amar Chand, r/o V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sonam Angroop aged 49 years s/o Sh. Phunchog Tashi, r/o Village Yoche, P.O. Darcha Sumdo, Tehsil Keylong, District Lahaul and Spiti (H.P.) at present residing at, V.P.O. Prini, Tehsil

Manali, District Kullu (H.P.) and Mrs. Dolma Devi aged 51 years d/o Sh. Amar Chand, r/o V.P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have presented an application on dated 04-04-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 05-05-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 8th day of April, 2024.

Seal.

Sd/-
*Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Rajesh Kumar s/o Sh. Shyam Tamang, r/o House No. 92, Ward No. 11, Shastri Nagar (Chungi), P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.).

2. Dinesh Kumari d/o Sh. Shyam Lal, r/o House No. 92, Ward No. 11, Shastri Nagar (Chungi), P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Rajesh Kumar and Dinesh Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-11-2010 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 04-05-2024. The objection received after 04-05-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-04-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Asha Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Asha Devi d/o Sh. Primu Ram, r/o Village Ropa, P.O. Khanag, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Smt. Asha Devi d/o Sh. Primu Ram born on 01-01-1977 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Smt. Asha Devi d/o Sh. Primu Ram born on 01-01-1977 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 01-05-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 1st day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री चेंगा शेर्पा पुत्र श्री तेन्जिन पुरी लांमा, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चेंगा शेर्पा पुत्र श्री तेन्जिन पुरी लांमा, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र, मय शपथ—पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में उनकी पुत्री सिमरन शेर्पा की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी पुत्री सिमरन शेर्पा की जन्म तिथि 07-11-2011 ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में दर्ज किया जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र, सचिव ग्राम पंचायत शनाग, हल्फिया ब्यान, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत शनाग, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र व ग्वाहान के लिखित ब्यान से पाया गया कि सिमरन शेर्पा पुत्री श्री चेंगा शेर्पा की जन्म तिथि 07-11-2011 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सिमरन शेर्पा पुत्री श्री चेंगा शेर्पा, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डा0 बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-04-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शनाग के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 17-NCT / 2024

दायर तिथि : 23-02-2024

श्री धनवीर सिंह पुत्र श्री चैने राम पुत्र श्री दोत राम, निवासी गांव पिगरंग, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता प्रत्यार्थी।
विषय.—दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री धनवीर सिंह पुत्र श्री चैने राम पुत्र श्री दोत राम, निवासी गांव पिगरंग, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 23-02-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी पारली कोठी कोटकण्डी के राजस्व दस्तावेज में धनवीर सिंह पुत्र श्री चैने राम की जगह श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री चैने राम दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री महिन्द्र सिंह उर्फ धनवीर सिंह पुत्र दोत राम दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 06—NCT / 2024

दायर तिथि : 14—11—2023

श्री छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिले राम पुत्र श्री दयालू, निवासी गांव गनाखला, डा0 भ्रैण फाटी कशावरी
कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिले राम पुत्र श्री दयालू, निवासी गांव गनाखला, डा0 भ्रैण फाटी कशावरी
कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 14—11—2023 को इस अदालत में
प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका व उसके पिता का नाम सहबन गलती से फाटी कशावरी कोठी काईस
के राजस्व दस्तावेज में छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिले राम की जगह श्री मछिन्द्र पाल पुत्र श्री दिला दर्ज हुआ है
जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना व अपने पिता का नाम दुरुस्त करके
श्री मछिन्द्र पाल उर्फ छिन्द्र पाल पुत्र श्री दिला उर्फ दिले राम दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी व
प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07—05—2024 को
सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा
सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने
के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 18—CT/2024

दायर तिथि : 06—04—2024

श्री तारा चन्द व मेहर चन्द पुत्रगण श्री नाथू राम पुत्र श्री गीलू निवासी गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा फाटी व कोठी बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

श्री तारा चन्द व मेहर चन्द पुत्रगण श्री नाथू राम पुत्र श्री गीलू निवासी गांव दोगाधार, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 06-04-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनकी जाति सहबन गलती से फाटी बजौरा कोठी बजौरा के राजस्व दस्तावेज में राजपूत दर्ज हुई है जोकि गलत इन्द्राज हुई है अब प्रार्थीगण अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति दुरुस्त करके लोहार दर्ज करना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीगण की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-05-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं० : 20-BT/2024

दायर तिथि : 14-03-2024

श्री संजय कुमार पुत्र श्री लेवत राम, निवासी गांव शुरड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री लेवत राम, निवासी गांव शुरड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 07-01-1992 को स्थान शुरड़, डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थी के माता-पिता ने प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शुरड़, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सके।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संजय कुमार पुत्र श्री लेवत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-05-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 19-BT / 2024

दायर तिथि : 01-04-2024

श्री कन्हिया लाल पुत्र श्री कपिल देव, निवासी वार्ड नं0 4, नजदीक सन्धया कॉम्पलैक्स भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कन्हिया लाल पुत्र श्री कपिल देव, निवासी वार्ड नं0 4, नजदीक सन्धया कॉम्पलैक्स भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र आयुष कुमार का जन्म दिनांक 04-09-2016 को स्थान वार्ड नं0 4, नजदीक सन्धया कॉम्पलैक्स भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थी ने अपने पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री आयुष कुमार पुत्र श्री कन्हिया लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-05-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं० : 08—MT / 2024

दायर तिथि : 01—03—2024

1. श्री लाल चन्द पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव श्याम नगर, डाकघर शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती डिम्पल पुत्री श्री जगदीश चन्द, गांव टारबाई, डा0 ब्राधा, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 01—03—2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20—01—2023 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मन्झली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07—05—2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Govind Singh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Govind Singh s/o Sh. Kumbh Dass, r/o Village Shagagi, P.O. Khun, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of himself Sh. Govind Singh s/o Sh. Kumbh Dass born on 01-07-1971 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Sh. Govind Singh s/o Sh. Kumbh Dass born on 01-07-1971 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 10-05-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 10th day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Kaushalya Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Kaushalya Devi d/o Sh. Sita Ram, r/o Village Nagot, P.O. Kamand, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Smt. Kaushalya Devi d/o Sh. Sita Ram born on 01-07-1977 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kohila.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant Smt. Kaushalya Devi

d/o Sh. Sita Ram born on 01-07-1977 in the Panchayat record of Gram Panchayat Kohila, he/she/they may file his/ her/their objections on or before 10-05-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 10th day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).

ब अदालत श्री टेक चन्द चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, आनी, तहसील आनी,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 20 / 2023

तारीख संस्थापन : 01-06-2023

श्रीमती संगीता कौशिक पुत्री स्व0 श्री विष्णु दत्त, फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
हाल निवासी मकान नं0 396, सेक्टर-15, भाग-1, गुडगांव (हरियाणा) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्रीमती संगीता कौशिक पुत्री स्व0 श्री विष्णु दत्त, फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
हाल निवासी मकान नं0 396, सेक्टर-15, भाग-1, गुडगांव (हरियाणा) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2015-16 नकल परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मांझादेश के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 1565/1809, 1569/1813 व 1570/1814 में उसके पिता का नाम विशन चन्द गलत दर्ज है जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसके पिता का नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप विष्णु दत्त है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मांझादेश के राजस्व कागजात में उसके पिता के नाम को दुरुस्त किया जावे।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त आनी को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो व पटवारी मांझादेश के अनुसार आवेदिका के पिता का नाम पटवार वृत्त मांझादेश के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। विशन चन्द के स्थान पर विष्णु दत्त दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 09-05-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में असातन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 08-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री टेक चन्द चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, आनी, तहसील आनी,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 08 / 2022

तारीख संस्थापन : 16-06-2022

श्री केशव राम पुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव लोशटी, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री केशव राम पुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव लोशटी, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2014-15 नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 649/800 में उसका नाम किशू गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप केशव राम है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त किया जावे।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त कुंगश को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। किशू के स्थान पर केशव राम दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 09-05-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 08-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

